भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5663
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

कामकाजी महिलाओं के लिए नए छात्रावास

5663. श्री कौशलेन्द्र कुमारः
श्री दिनेश चंद्र यादवः
श्री रामप्रीत मंडलः
श्रीमती लवली आनंदः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बजट 2024-25 में घोषित उद्योगों के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए स्थानवार कितने नए छात्रावास बनाए गए हैं;

(ख) क्या बजट में घोषित उक्त योजना के तहत महिलाओं को कौशल और विपणन सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा महिलाओं के लिए उक्त सुविधाएं कहां-कहां प्रदान की गई हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): सरकार कामकाजी महिलाओं और कार्यबल में शामिल होने की इच्छुक महिलाओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और किफायती छात्रावास सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कामकाजी महिला छात्रावास श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार लाने

के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं जो 'वीमेन-लेड डिवेलपमेंट' के विचार को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मिशन शक्ति के अंतर्गत सखी निवास योजना [कामकाजी महिला छात्रावास (डब्ल्यूडब्ल्यूएच)] एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है जहां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी आवश्यकता का आकलन करते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा के बाद कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं और उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है, साथ ही शहरी, अर्ध-शहरी और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, बच्चों के लिए डे केयर सुविधा भी उपलब्ध कराना है। इस योजना में किराये के आधार पर निधि प्रदान की जाती है। नए ग्रीनफील्ड निर्माण को बंद कर दिया गया है।

तथापि, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (डीओई) ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 28 राज्यों को नए डब्ल्यूडब्ल्यूएच के ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए 5000.00 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अपनी जरूरतों और आवश्यकताओं का आकलन करने के बाद, 28 राज्यों ने व्यय विभाग को डब्ल्यूडब्ल्यूएच के निर्माण के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, व्यय विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूएच के निर्माण के लिए 28 राज्यों को पहली किस्त जारी कर दी है।

सखी निवास योजना (डब्ल्यूडब्ल्यूएच) में डब्ल्यूडब्ल्यूएच के लाभार्थी को कौशल और विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

निर्भया कोष के ढांचे के अंतर्गत अधिकार प्राप्त समिति ने भी उत्तराखंड में 7, उत्तर प्रदेश में 3, नागालैंड में 7, पंजाब में 1, तमिलनाडु में 3 और दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए 1 और अधिक डब्ल्यूडब्ल्यूएच के ग्रीनफील्ड निर्माण का मूल्यांकन किया है।

xxxxx